D.T.C. Bus Service

437. SHRI BRIJ BHUSHAN TEWARI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the deteriorate bus service provided by the Delhi Transport Corporation to the residents of Sarojini Nagar on Route No. 50 plying between Sarojini Nagar and Central Secretariat/Regal; and

(b) if so, what steps the Government contemplate to remove the hardship faced by the Government servants in particular and the public in general?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Yes, Sir. There have been some complaints of irregular operation of the bus services on this route.

(b) The service on the route is being operated by N.D.M.C., with its own buses, under an agreement with the Delhi Transport Corporation. The Transport Controller of that Committee has been requested by the Corporation to take immediate steps to regularise the service.

DTC is also operating its own bus services which pass *via* Sarojini Nagar and run up to Central Secretariat/ Plaza/Connaught Circus.

आपातकाल के दौरान जन प्रचार के साधनों का दुरुपयोग करने के बारे में एक सदस्यीय समिति का गठन

438. श्री उग्रसेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आपातकाल के दौरान जन प्रचार साधनों का दुरुपयोग करने और उनकी जांच करने के लिये एक श्वेत-पत्र तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति द्वारा किये गये कार्य की प्रगति क्या है और इस बारे में आगे की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री के० के० दास, आई० सी० एस० (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में 21 मई, 1977 को आपात स्थिति के दौरान

(क) सेंसर उपबन्धों का दुरुपयोग ;

(ख) पत्रकारों का उत्पीड़न ;

(ग) फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के बारे मे आरोप ;

(घ) जन संपर्क माध्यमों तथा समाचार एजेंसियों का स्वार्थ साधन के लिये उपयोग ; और

(ङ) अन्य प्रासंगिक मामलों

से संबंधित जन सांपर्क के माध्यमों के दुरुपयोग के बारे मे जांच करने और ऐसे तथ्य एकत्रित करने के लिये एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी जिनके आधार पर सरकार एक श्वेत-पत्र तयार करेगी । उक्त समिति के बारे में 21 मई, 1977 को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें जनता और संस्थाओं से यह निवेदन किया गया था कि वे अपनी खास शिकायतें, पूर्ण विवरण सहित, इस मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) को 5 जून, 1977 तक भेज दें । प्रेस नोट में यह भी कहा गया था कि शिकायतें उक्त तिथि तक भेजना बहुत जरूरी है ताकि श्वेत-पत्र संसद् के बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने के लिये समय पर तैयार किया जा सके ।

2 प्रेस नोट के बाद एक विज्ञापन व्यापक रूप से देश भर के राष्ट्रीय समाचारपत्रों तथा प्रादेशिक और भाषायी समाचारपत्रों

को जारी किया गया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से भी इसको व्यापक रूप से और बार बार प्रचारित किया गया था। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से निवेदन किया गया था कि वे विभिन्न विचारार्थ विषयों पर सूचना भेज दें। मंत्रालय ने प्रेस और फिल्म संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी पत्र लिखे जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने घटकों को इस जांच के संबंध में सूचना दे दें तथा उनसे कहें कि वे अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, इस मंत्रालय को भेज दें।

3 दाम समिति जन संपर्क के माध्यमों के दुरूपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों और इस मंत्रालय और इसके माध्यम एककों के रिकार्डों की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जांच समिति अपना कार्य 30 जून, 1977 तक पूरा कर लेगी।

Completion of berths in Tuticorin Harbour Project

439. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the original schedule of dates for the completion of another two berths in the Tuticorin Harbour Project;

(b) whether the Scheme is progressing according to the schedule; and

(c) if not, the reasons therefor and the probable date by which the remaining two berths are expected to be completed?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) According to the original schedule, all four berths were to be completed by February, 1973. Two berths were commissioned in December, 1975 and the remaining two berths by December, 1976.

(b) and (c). Do not arise.

Ban on screening of films after Emergency

440. SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government banned the screening of some films after the proclamation of emergency;

(b) if so, what are the films so banned; and

(c) whether the present Government propose to lift the ban on the screening of these films?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) During the period of emergency the public exhibition of the following films was suspended:—

1. AAINA (HINDI)
2. TATAMMA KALA (TELGU)
3. AANDHI (HINDI)
4. SALAKHEN (HINDI)
5. DUS NUMBRI (HINDI)
6. KAAM SHASTRA (HINDI)
7. GUPT SHASTRA (HINDI)
8. STREE PURUSH (REVISED) (HINDI)
9. GUPT GYAN (HINDI)
10. VAZHKAI RAGASYAM (TAMIL)
11. MARMAKKALAI (TAMIL)
12. GUPT GYANAMU (TELUGU)
13. DHAMPATHY RAGASYAM (MALAYALAM)

Out of the above 13 films, the following films were later uncertified:—

1. KAAM SHASTRA (HINDI)
2. GUPT SHASTRA (HINDI)